जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 9 के अन्तर्गत गठित)

विज्ञप्ति/सूचना

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या 2389/एस.एल.एस.ए.–83/2025 दिनांकित 30.07.2025 तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली में मध्यस्थ अधिवक्ता (Mediator Acvocate) का चयन गठित समिति द्वारा किया जाना है। उक्त मध्यस्थ अधिवक्ता के चयन के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिएः–

1. **ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय मे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।**
2. **सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीश।**
3. **ऐसे वृत्तिक (व्यवसायिक या पेशेवर जिसमें कौशल और प्रशिक्षण की आवकश्यता) डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक /विशेषज्ञ, जिनके पास अपने अपने क्षेत्रों मे कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि क्षेत्र से सुपरिचित हो।**

उक्त पद के लिए आवेदकों को आवेदन करते समय एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

मध्यस्थों का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। प्रतिकूल आचरण पर 03 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है।

मध्यस्थों का पद शासकीय सेवा में नियुक्त नही माना जायेगा और वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली मे मानदेय के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।

मध्यस्थ के रुप में कार्य करने के इच्छुक, अधिवक्ता/आवेदक दिनांक 05/08/2025 को सायं 4.00 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप पर स्पष्ट शब्दों में भर कर शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, मय पासपोर्ट साईज की नवीन फोटो सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली में प्रस्तुत कर सकते है। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधर पर किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। **निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारुप नोटिस बोर्ड, सिविल बार एसोशिएसन चन्दौली, डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोशिएसन चन्दौली एवं जनपद न्यायालय चन्दौली की बेब साइट से प्राप्त किया जा सकता है।** अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

अपर जनपद एवं अ.त्र न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली में मध्यस्थता केन्द्र पर मध्यस्थ अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

(आवेदक द्वारा स्वयं से भरा जाना है)

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ चिपकाए।

1. आवेदित पद का नाम

2. आवेदक/आवेदिका का नाम

3. पिता/पति का नाम.....

4. जन्म तिथि अंक में शब्द में

5. वर्तमान पता

6. मोबाईल और फोन नं0

7. ई–मेल आइ.डी.

8. स्थाई पता (पते के प्रमाण की प्रति संलग्न करें).....
.....

9. शैक्षिक योग्यता
(शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्राति संलग्न करें।)

10. अनुभव
(अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्राति संलग्न करें।)

दिनाक :

स्थान :

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सही है। मेरे विरुद्ध किसी थाने में कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नही है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मुझे दण्डित किया गया है। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर